8

न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

II/ निगरानी/रीवा/भू॰रा/2018/1920

1- रामदरस तनय हरिवंश प्रसाद ब्राम्हण

2- पवन कुमार ~~उर्फ~~ राघो प्रसाद तनय श्री हरिवंश प्रसाद

3- लालबहादुर तनय श्री हरिवंश प्रसाद

4- बेवा गीता पत्नी स्व.श्री राधारमण ब्रा.

5- श्रीकान्त पिता स्व.श्री राधारमण ब्रा.

6- ओम प्रकाश तनय स्व.श्री राधारमण ब्रा.

7- श्रीप्रकाश तनय स्व.श्री राधारमण ब्रा.

सभी निवासी ग्राम बेलियाकूं, तहसील हनुमना, जिलारीवा म0प्र0,

:------ निगरानीकर्तागण

20.3.18

13.4.18

20.3.18

बनाम

1- श्री रामनारायण पटेल तनय स्व.श्री रामविशाल पटेल

2- श्रीमती श्यामाबाई पत्नी श्री रामनारायण पटेल

3- राजेन्द्र कुमार तनय श्री रामनारायण पटेल

4- महेन्द्र कुमार तनय श्री रामनारायण पटेल

5- सुरेन्द्र कुमार तनय श्री रामनारायण पटेल

6- बीरेन्द्र कुमार तनय श्री रामनारायण पटेल

7- रामखेलावन तनय स्व.श्री रामविशाल पटेल

सभी निवासी ग्राम देवरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0,

:------ गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुध्द आदेश माननीय अपर कलेक्टर महोदय मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0, के राजस्व प्रकरण क्रमांक 16/मूल/अ-74/2013-14, व पारित आदेश दि.08.01.18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1920/दो/2018 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21/5/18	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर मउगंज जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 16/मूल/अ–74/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण के संयुक्त भूमियो का विभाजन हो चुका है, तथा 02 किता भूमियां संयुक्त खाते में है जिनका भी नक्शा तरमीम विपरीत स्थिति में किया जा चुका है, आराजी क्रमांक 140/2 रकवा 0.045 है0, 145/2 क रकवा 0.681 है0, 141/1 रकवा 0.085 है0 142/1 रकवा 0.166 है0, 146/3 रकवा 0.177 है0 कुल किता 5 कुल रकवा 1.154 है0 स्थित ग्राम तेलियाबूड के भूमि स्वामी आवेदकगण है जिनका विभाजन होकर बंटा कायम है। अनावेदक क्रमांक 1 से 7 द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत नक्शा तरमीम करा लिया है जो पूर्णतः आराजी क्रमांक 135 रकवा 0.405 है., 143 रकवा 2.184 स्थित ग्राम तेलियाबूड के भूमि स्वामी आवेदकगण एवं अनावेदकगण संयुक्त रूप से है जिसमें अपने–अपने हिस्से में दोनो पक्ष काबिज है अनावेदकगण का कब्जा दखल नहीं है आवेदक क्रमांक	

1, 2, 3 के पिता एवं आवेदक क्रमांक 4 के ससुर व क्रमांक 5,6,7 के बाबा तथा अनावेदक क्रमांक की 1 की पत्नी व अनावेदक क्रमांक 2 के विरूद्व तथा अनावेदक क्रमांक 3,4,5,6 के माता के विरूद्व सिविल बाद प्रस्तुत किया था। जिसमे दोनो पक्षो के मध्य नजरी नक्शा अनुलग्न 'अ' के अनुसार राजीनामा हो गया था उसी अनुसार हरिवंश प्रसाद की प्राप्त भूमियों में मौके से काबिज दखल रहे आये उनकी मुत्यु की बाद उनके वारिस काबिज दखिल है अनावेदकगण का कब्जा दखल नही है परन्तु नक्शा तरमीम स्थिति के विपरीत कराया गया है, जिसके सुधार किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर मउगंज जिला रीवा के समक्ष संहिता की धारा 107 (5) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो अपर कलेक्टर द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक 08.01.2018 से निरस्त कर दिया है। इसी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि आवेदक के विरूद्ध जो कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है, वह भू-राजस्व संहिता की धारा 107 (5) के प्रावधानो के प्रतिकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। क्योंकि अपर कलेक्टर मउगंज जिला रीवा के समक्ष जो आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से नक्शा सुधार एवं अवैधानिक तरमीम के संबंध मे प्रस्तुत किया गया था। जो प्रथम दृष्टया स्वीकार किया जाकर आदेश पत्रिका दिनांक 06.08.2013 से स्वीकार

किया जाकर तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी हनुमना से जांच प्रतिवेदन मांगाये जाने का आदेश पारित किया था। जो आदेश विधि अनुकूल था उस आदेश दिनांक 06.08.2013 के अनुसार तहसीलदार हनुमना से प्रतिवेदन नहीं मंगाया गया और विधि विरूद्व आदेश दिनांक 08.01.2018 पारित कर दिया गया जबकि न्यायालय को प्रकरण का निराकरण विधि के निहित प्रावधानो के अनुसार किया जाना चाहिये था इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की ओर से संहिता की धारा 107 (5) के अन्तर्गत नक्शा सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसपर प्रथम आदेश पत्रिका दिनांक 26.08.2013 से आदेशित किया गया है कि प्रकरण पंजीबद्व किया जाये तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी हनुमना से जरिये प्रतिवेदन मंगाये जाने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार जब प्रकरण प्रथम दृष्टया ग्राहय कर दिया गया है तब ऐसी स्थिति में उसका निराकरण गुण दोषो के आधार पर किया जाना चाहिये। संहिता की धारा 107 (5) स्पष्ट है कि ऐसा नक्शा (राजस्व सर्वेक्षण, के समय बंदौबस्त अधिकारी द्वारा और समस्त अन्य समयो पर तथा समस्त अन्य परिस्थितियो में कलेक्टर द्वारा यथा स्थिति तैयार या पुनरीक्षित किया जायेगा।) ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि नक्शा सुधार के संबंध में मूल

अधिकारिता कलेक्टर न्यायालय को है। चूकि वर्तमान प्रकरण में गुण दोषो पर कोई आदेश पारित नही किया है अतः ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर मउगंज जिला रीवा द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर मउगंज जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2018 अपास्त किया जाता है एवं अपर कलेक्टर मउगंज जिला रीवा को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्षो को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकरण गुण दोषो पर विधिवत् रूप से करें। इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य